छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा **द्वादश सत्र**

मंगलवार, दिनांक 14 दिसम्बर, 2021

(अग्रहायण 23, शक सम्वत् 1943)

[अंक 02]

Web Copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 14 दिसंबर, 2021

(अग्रहायण 23, शक संवत् 1943)

विधानसभा पूर्वान्ह् 11:00 बजे समवेत् हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरण दास महंत) पीठासीन हुए)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत-बहुत बधाई हो। आज ही के दिन इस छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला सत्र हुआ था।

अध्यक्ष महोदय :- जी।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ विधानसभा का स्थापना दिवस है। आज ही के दिन प्रथम शुरूआत हुई थी। बहुत-बहुत बधाई हो।

श्री नारायण चंदेल :- नहीं-नहीं, इसके लिए तो बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

अध्यक्ष महोदय :- थैंक्यू-थैंक्यू। इसके बाद मैं प्रश्नकाल के बाद कुछ कहूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप सबको बहुत-बहुत बधाई। आज हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सदन को कुछ कहना चाहता हूं।

<u>विधान सभा स्थापना दिवस के अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय का सम्बोधन</u>

अध्यक्ष महोदय :- मुझे सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य गठन के उपरांत विधान सभा की प्रथम बैठक आज से ठीक 21 वर्ष पूर्व 14 दिसम्बर, 2000 को राजकुमार कॉलेज के जशपुर हॉल में अंतरिम व्यवस्थाओं के अंतर्गत सम्पन्न हुई थी।

छत्तीसगढ़ विधान सभा के स्थापना दिवस के अवसर पर इस सभा में प्रतिनिधित्व करने वाले समस्त माननीय सदस्यों एवं प्रदेश की जनता को मैं हद्य से बधाई देता हूं तथा आप सबने अपने बुद्धिकौशल एवं राज्य के प्रति समर्पण के भाव से छत्तीसगढ़ राज्य के विकास में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया वह अविस्मरणीय रहेगा। इसके लिए मैं सबको बहुत-बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं।

छत्तीसगढ़ विधान सभा ने अपनी 21 वर्ष की इस संसदीय यात्रा में सफलता और सम्मान के अनेक सोपानों को सृजित करते हुए अपनी एक अलग पहचान देश के विधान मण्डलों में स्थापित की है।

जैसा कि मुझे ज्ञात है, 10 जनवरी को लोक सभा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। उस दिन लोक सभा का अवकाश रहता है।

असंपादित/प्रकाशन के लिये नहीं

इस अवसर पर मैं घोषणा करता हूं कि आगामी वर्ष से विधान सभा सचिवालय में भी 14 दिसम्बर को अवकाश रखा जाएगा। (मेजों की थपथपाहट)

मैं आप सबको इस अवसर पर पुन: बधाई देता हूं और आप सभी की ओर से छत्तीसगढ़ महतारी को यह विश्वास भी दिलाता हूं कि इस प्रदेश की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले हम सब सदस्य और यह सदन इसकी सेवा निष्ठापूर्वक करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- कार्यक्रम करके मनाएंगे। बैठक मत करे लेकिन कोई गोष्ठी, कोई समारोह लेजिस्लेटिव वक्त में आप हम लोगों को सिखाएं, मार्गदर्शन करें। ऐसे कार्यक्रम हों।

अध्यक्ष महोदय :- जी, जी।

श्री कुलदीप जुनेजा :- आदरणीय अध्यक्ष जी, सुबह कार्यक्रम आयोजित करते हैं। मुख्यमंत्री जी के साथ सुबह 6 बजे पूरे शहर में दौड़ लगाये हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप से चर्चा उसको करके तय कर लेंगे।

श्री नारायण चंदेल :- शुभ काम में देर नहीं होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- आप भी स्थापना दिवस के दिन अवकाश का सिर्फ विधानसभा आज घोषणा कर कर सकते हैं। जीवन पर्यंत यह बात याद रखी जाएगी। इसमें किसी प्रकार की प्रशासनिक एवं वित्तीय अड़चन नहीं है। उचित लगे तो आप विचार कर ले कि उस दिन को हमें कैसे मनाना है। मैं आप सबको इस अवसर पर पुन: बधाई देता हूं और आप सभी की ओर से छत्तीसगढ़ महतारी को यह विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि इस प्रदेश की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले हम सब सदस्य और यद सदन उसकी सेवा निष्ठापूर्वक करेंगे, करते रहेंगे और सदैव इस बात का स्मरण रखेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रश्नकाल। अजय चन्द्राकर जी।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत निर्मित आवासों की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति

1. (*क्र. 49) श्री अजय चन्द्राकर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा कितने हितग्राहियों को आवास आबंटित करने का लक्ष्य रखा गया है ? कितनी केन्द्रांश व राज्यांश राशि की आवश्यकता होगी ? 30 अक्टूबर, 2021 तक कितने आवास स्वीकृत हुए हैं ? (ख) वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 व 2021-22 (30 अक्टूबर, 2021 की स्थिति) में स्वीकृत आवास में से कितने आवास पूर्ण व अपूर्ण हैं ? तथा कौन-कौन से किस्त की, कितनी राशि, कितने हितग्राहियों को दी जा चुकी है और कितनी शेष है ? वर्षवार, जिलेवार बतायें ? (ग) उक्त तीनों वर्षों में 30 अक्टूबर,

2021 की स्थिति में कितनी राशि की राज्यांश व केन्द्रांश आवश्यकता थी और कितनी राशि प्राप्त हुई है ? तथा कितनी शेष है और कितनी व्यय की जा चुकी हैं ?

पंचायत मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) : (क) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2021-22 में केन्द्र सरकार द्वारा 7,81,999 हितग्राहियों को आवास आबंटित करने का लक्ष्य रखा गया था. जिसे भारत सरकार द्वारा वापस ले लिया गया है. राज्य सरकार द्वारा लक्ष्य का निर्णय विचाराधीन होने के कारण केन्द्रांश एवं राज्यांश की आवश्यकता का आंकलन करना संभव नहीं है. 30 अक्टूबर, 2021 तक कोई भी आवास स्वीकृत नहीं हुए हैं ? (ख) वर्षवार, जिलेवार स्वीकृत आवासों में से पूर्ण आवास एवं अपूर्ण आवास की जानकारी †[1] संलग्न प्रपत्र "अ" में एवं शेष प्रश्नांश की जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" में दर्शित है. (ग) 30 अक्टूबर, 2021 की स्थिति में वर्ष 2019-20 में राज्यांश राशि रुपये 762.81 करोड़ व केन्द्रांश राशि रुपये 1144.21 करोड़ की आवश्यकता थी, जिसके विरूद्ध राज्यांश अप्राप्त है तथा केन्द्रांश की राशि रुपये 843.81 करोड़ प्राप्त हुई है. वर्ष 2020-21 में राज्यांश राशि रुपये 800.00 करोड़ व केन्द्रांश राशि रुपये 1200.00 करोड़ की आवश्यकता थी, जिसके विरूद्ध राज्यांश एवं केन्द्रांश की राशि अप्राप्त है. वर्ष 2021-22 का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा वापस ले लिया गया है, जिसके कारण केन्द्रांश एवं राज्यांश की आवश्यकता का आंकलन करना संभव नहीं है.

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहते हुए पूछूंगा, ये और एक मिनट प्रश्न के विषय मैं आपको अवगत करा देता हूं। इसमें आपने 139 स्वीकृत की थी। राजा साहब के उसमें बयान दूसरे हैं इसमें जानकारी दूसरी हैं। मैं चाहता तो विशेषाधिकार दे सकता था लेकिन उनके तो विशेषाधिकार उनकी पार्टी ने ही छीन लिय हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान इसमें दूसरा है और यह गरीबों के लिए योजना है। इसमें क्या होगा, मैं स्पष्ट मंत्री सही हैं कि मुख्यमंत्री जी का बयान सही है हालांकि वह सदन के बाहर दिये गये हैं। तो इसको स्पष्ट करना जरूरी है। इसलिए आप इसमें थोड़ा-सा संरक्षण देंगे, ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है। मैं पहले आपसे प्रश्न करना चाहूंगा और माननीय आप भी इसकी परिशिष्ट देख ले तो अच्छा होगा कि जो इन्होंने शुरूआत में 2 वर्ष 2019-20 और 2020-21 की राशि स्वीकृत की हैं।

एक जगह मैं संख्या तो नहीं पढ़ता, पर हितग्राहियों की संख्या की चारों किस्त 2019-20 और 2020-21 में आपने नहीं दी है। आपने चारों किस्त नहीं दी है । यह चारों किस्त नहीं देने के कारण क्या हैं और 2020-21 में सारे प्रथम किस्त शून्य हैं तो इसके कारण क्या हैं ? 2019-20 में आपने चारों किस्त आपने पूरा नहीं दिया है और प्रथम किस्त शून्य हैं, इसके कारण क्या हैं ?

श्री टी. एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वाभाविक है कि अगर किस्त नहीं दी है तो राशि उपलब्ध नहीं थी, वरना किस्त दे दी जाती ।

---

†[1] परिशिष्ट "एक"

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें स्पष्ट कीजिए कि किसकी राशि उपलब्ध नहीं थी ? मैं इस विभाग का मंत्री रहा हूं । यह किस्त केन्द्र सरकार से उपलब्ध नहीं थी या राज्य सरकार से उपलब्ध नहीं थी और दोनों साल की राशि कितनी है, दोनों साल की कितनी किस्त है, जो राज्य सरकार को देनी थी ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- छत्तीसगढ़ में यह योजना 2016-17 से प्रारंभ हुई थी।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मैं स्पेशिफिक प्रश्न कर रहा हूं ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- मैं स्पेशिफिक पूरी कहानी बता देता हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, कहानी मुझे मालूम है, मैं इस विभाग में मंत्री था ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- उस समय कितना बकाया था ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप बता दें ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, उस समय केन्द्रांश कितना बकाया था?

अध्यक्ष महोदय :- चन्द्राकर जी, प्लीज़ । आप प्रश्न अपने लिए पूछ रहे हैं या सदन के लिए पूछ रहे हैं या छत्तीसगढ़ के लिए पूछ रहे हैं ? आपको व्यक्तिगत जानकारी हो सकती है, मगर सदन के अन्य सदस्यों को जानकारी नहीं है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी बात बिल्कुल सही है। आपसे अनुरोध करूंगा कि इसमें आप समय दे दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- अगर मंत्री जी विस्तृत उत्तर देना चाहते हैं तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।

श्री टी. एस. सिंहदेव :- धन्यवाद अध्यक्ष महोदय । वास्तव में जैसा आपने भी कहा कि पूरे सदन को भी और पूरे प्रदेश को भी इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि इसमें कई प्रकार की भ्रांतियां हैं, अभी माननीय अजय जी ने अभी कुछ बातों को कहा। सदन के अंदर और सदन के बाहर भी जब मौका लगेगा तो मैं उसका भी उल्लेख कर दूंगा । 2016-17 से प्रारंभ हुई इस योजना में जो टारगेट प्रतिवर्ष थे-वह 2016-17 में 2,32,903, 2017-18 में 2,06,372, 2018-19 में 3,48,960, 2019-20 में 1,51,100 और 2020-21 में 1,57,815 आवास थे । 1,57,815 आवास जो वित्तीय वर्ष 2021 के थे, इसमें कोई भी राशि उपलब्ध नहीं हुई है और इसमें केन्द्रांश 12 सौ करोड़ का और राज्यांश 800 करोड़ का प्रस्तावित था । इन कामों को करने के लिए 1,57,815 और वर्तमान जो वित्तीय वर्ष है, उसमें केन्द्र सरकार से आवंटन ही नहीं आया, हमको टारगेट ही नहीं मिला क्योंकि पुराना टारगेट नहीं था । इसलिए मैं नीचे से चालू करके इस बात की जानकारी दे रहा हूं क्योंकि आपने यह दोनों प्रश्न भी पूछे और 2016-17 का केन्द्रांश और राज्यांश अनुपलब्ध शून्य है, 2017-18 का अनुपलब्ध शून्य है । 2018-19 में केन्द्रांश 25 करोड़, 85 हजार अपेक्षित है, वह अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है और 2019-20 का

300.04 करोड़ अपेक्षित है । राज्य सरकार का 762.81 करोड़ अपेक्षित है । यह प्रक्रिया में था, लोन लेने का निर्णय पिछली सरकार ने लिया था कि अब बजट से न देकर, हम लोन लेकर इस योजना को क्रियान्वित करेंगे । यह 762.81 करोड़ हमारी प्रक्रिया में है । यह हो भी जाना है, मेरे ख्याल से इसकी मंजूरी भी हो जाएगी, लेकिन इस बीच में ही जो लक्ष्य था, उसे केन्द्र सरकार ने वापस ले लिया । उन्होंने 31 अक्टूबर का समय जरूर दिया था, लेकिन यह अत्यंत संवेदनशील इस योजना के लिए जब हम प्रक्रिया में थे और वीडियो कांफ्रेंसिंग से लगातार राज्य सरकार के अधिकारी केन्द्र सरकार के अधिकारियों को अवगत करा रहे थे । यह होने के कगार पर है, इसको रहने दें, इसे कैंसिल न करें, लेकिन उन्होंने इस लक्ष्य को भी विथड्रा कर लिया । मैंने आपको 6 सालों की जानकारी दी । पहले दो साल का न राज्यांश, न केन्द्रांश पेंडिंग है, तीसरे साल का 25.85 करोड़ केन्द्रांश लंबित है । चौथे वर्ष यानी 2019-20 का 300.04 करोड़ केन्द्रांश और 762.81 करोड़ राज्यांश अपेक्षित है और 2020-21 में यदि यह योजना लागू होगी, अभी तो 2019-20 का ही केन्द्रांश भी नहीं मिला है तो कुल 2000 करोड़ जिसमें से 12 सौ करोड़ केन्द्रांश और 800 करोड़ राज्यांश लगेगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत ही स्पेसीफिक प्रश्न किया है, जो इसमें प्रिन्ट है। योजना 5 साल के लिए थी, वर्ष 2022 तक लक्ष्य को पूरा करना था। यह पूरा देश जानता है कि वर्ष 2022 तक जिनके पास घर नहीं है, उन हर निराश्रितों को घर देना है। वर्ष 2019-2020 तथा 2020-2021 में राशि उपलब्ध नहीं थी, आपने जो भी उत्तर दिया, मैंने कहा कि इसमें कितना राज्यांश होता है और उस राज्यांश में, आपने जो दोनों वर्षों हेतु आवास स्वीकृत किया है, उसमें राज्यांश कितना होता है और आपने कितनी राशि दी है, मेरा स्पेसीफिक प्रश्न है।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2019-2020 में 1,51,100 आवास निर्माण के लिए 1144.21 करोड़ रूपये केन्द्रांश तथा 762.81 करोड़ रूपये राज्यांश कुल 1907.02 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान था।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने राज्यांश पूछा हूं, केन्द्रांश नहीं पूछा हूं। वर्ष 2019-20 का राज्यांश कितना होता है और क्या आपने राज्यांश दे दिया है ? वर्ष 2020-21 के 1 लाख 51 हजार मकान निर्माण बता रहे हैं, उसका राज्यांश कितना होता है और क्या आपने हितग्राहियों को दे दिया है ? राशि 4 किश्तों में देना है, नियमों में है कि 4 किश्तों में राशि देना है। आपने 0 (शून्य) किश्त दिया है। इसलिए मैंने स्पेसीफिक राज्यांश पूछा है, मैंने केन्द्रांश नहीं पूछा है। आपने दोनों साल आवास स्वीकृत किया है, तीसरे साल वापस ले लिया, मैं उस पर फिर प्रश्न करूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- चन्द्राकर जी, मैं अपनी जानकारी के लिए जानना चाहता हूं कि केन्द्रांश पहले आता है या राज्यांश पहले आता है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी आज जो जानकारी है, उसके अनुसार कोरोना के बाद, हमको पहले राज्यांश देना है। कोरोना के पहले केन्द्रांश आता था। मेरी अभी तक जो जानकारी है, मैं सरकार में नहीं हूं, परन्तु इसके बारे में आप बतायेंगे। चूंकि इन्होंने अपने कार्यकाल में 2 साल हेतु आवास स्वीकृत किया है तो 2 साल हेतु राज्यांश कितना था ? मंत्री जी द्वारा समय-समय पर जो भी उत्तर दिए गए हैं, मेरे पास वे सारे मौजूद हैं। इसीलिए मैंने कहा कि उनके खिलाफ प्रीवलेज बनता है। कृपया आप मुझे यह बता दें कि दोनों साल का राज्यांश कितना होता है ? अभी तक इस साल वर्ष 2020-21 के लिए 0 (शून्य) किश्त क्यों जारी हुआ है ? राज्यांश कितना होता है और आपने कितना पैसा दिया है, मैंने यह पूछा है ?

अध्यक्ष महोदय :- मैं दुर्भाग्य से आपके विभाग का कभी मंत्री नहीं रह पाया। इसलिए मैं अपनी जानकारी को पुष्ट करने के लिए पूछ रहा था कि केन्द्रांश की राशि पहले आती है या राज्यांश की राशि पहले देना पड़ता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मुझे जानकारी थी, वह मैंने बताई। मैं गलत हो सकता हूं, क्योंकि मैं सत्तारूढ़ दल में नहीं हूं। कोरोना के बाद जो स्थिति है और जो मेरी जानकारी है, वह मैंने बता दी। परन्तु मेरा माननीय मंत्री जी से स्पेसीफिक प्रश्न है कि वर्ष 2019-20 और 2020-21 हेतु आपने जितने मकान स्वीकृत किए हैं, उन मकानों हेतु कितना राज्यांश होता है और आपने उतना पैसा दे दिया है क्या ?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था, लेकिन शायद माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित नहीं कर सका। मैंने उल्लेखित किया था कि वर्ष 2019-20 में 762.81 करोड़ रूपये राज्यांश था, जिसके लिए लोन की प्रक्रिया लगभग पूरी है। हमारी जो उच्च स्तरीय कमेटी है, उसके पास मामला है। हमने केन्द्र सरकार से यही अनुरोध किया था कि समय दे दीजिये, जैसे ही प्रक्रिया पूरी होती है हम राज्यांश उपलब्ध करा देंगे। उन्होंने इसी बीच इस साल का जो कोटा था, उसको विड्रा कर लिया। मैंने अगले साल का भी बताया था कि वर्ष 2020-21 के लिए 800 करोड़, इसमें ना केन्द्रांश और ना राज्यांश, यह उपलब्ध नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2020-21 का अभी आपको एक्जैक्ट आकड़ा बता देता हूं। केन्द्र सरकार ने 4,48,867 आवास का लक्ष्य दिया था। इनकी इमपावर कमेटी ने 1,57,815 आवास स्वीकृत की है जब आपने उतने आवास स्वीकृत कर दिए, आप परिशिष्टि को देख लें, केन्द्रांश आता है या नहीं आता है, राज्यांश दोनों की उपलब्धता है, यह मैं नहीं जानता। आप राज्यांश को जारी कर सकते हैं या जारी नहीं कर सकते हैं, यह आप जाने। आपने 2 वर्ष हेतु आवास स्वीकृत किया है। तो इसमें अब मेरा प्रश्न यह है कि आपने गरीबों की इस योजना में 4 लाख 51 हजार आवास वर्ष 2020-21 में वापस करने के क्या कारण थे ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो कोरोना की स्थिति थी । आपने हाऊस के बाहर राज्य के स्थिति की बात की । माननीय मुख्यमंत्री जी के बहन की भी बात की । अगर राज्य को केन्द्र से मिलने वाले जायज राजस्व के हिस्से को ही आप उपलब्ध नहीं करा पाओगे तो राज्य अपना काम कैसे करेगा ? और लोन लेने पड़ेंगे ? आपने 20 हजार करोड़ रूपये तक की हमारी राज्य की राशि, जो हमारा अधिकार है, हमारे हक की राशि है, आप उसको उपलब्ध नहीं कराओगे तो हम अपना काम कैसे करेंगे ? लोन लेना पड़ेगा । लोन किस-किस चीज के लिए लेंगे, उसकी सीमा है । स्वाभाविक है कि लोन लेने की एक सीमा आ जाती है । हम उम्मीद कर रहे हैं । बार-बार मुख्यमंत्री जी ने केन्द्र से पहल किया कि हमारी राशि उपलब्ध करा दी जाये । अध्यक्ष महोदय, हमारी प्लानिंग कैसे होगी ? उसी बात को ध्यान में रखकर कि केन्द्र सरकार तो पूरे राज्यों को देख रही है, एक बराबर देखेगी, हमारी राशि उपलब्ध करायेगी । हमने दूसरे काम के लिए लोन लिया हुआ है । अध्यक्ष महोदय, लोन की भी तो एक लिमिट है । राज्य सरकार कितना लोन लेगी ? हमारी जो राशि आती, जो दूसरे कामों में लगती, उसको आपने हमको बाध्य कर दिया, हमारी प्रायरटी वहां पर शिफ्ट हो गई । कम करने के जो कारण हैं, आप उसका प्रगति देखिये । दूसरा कोरोना का समय था, उसकी स्वीकृति केन्द्र सरकार ने हमको दी, उस हिसाब से हमने इस लक्ष्य को रखा । राशि उपलब्ध नहीं होने के जो कारण है, उनमें यह है । हमारी मूल भौतिक राशि 20 हजार करोड़ रूपये को अगर केन्द्र सरकार लंबित रखती है, कौन सी राज्य सरकारें होंगी जो सुचारू रूप से अपने विकास के कामों को चला पायेंगी ? चलाने के लिए अगर लोन लेंगे तो आखिर उसके भी तो लोन लिमिट चोक होगा ? हम लोन, कहां से कितना लेते चले जायेंगे, अगर आप हमको रूटिन काम के लिए हमारी राशि उपलब्ध नहीं कराओगे, जिसको कि हमने हो सकता है, बजट में प्रावधानित करके रखा है । ये परिस्थितियां रहती है कि हमको जो लक्ष्य मिलते हैं, ऐसे अत्यन्तसंवेदनशील मसले, जिसको हम सब जानते हैं, समझते हैं और पहले की यह योजना है, गरीब में सबसे गरीब के लिए यह योजना लागू किया गया है, उसमें भी इन परिस्थितियों में अगर वित्तीय अधिकार की पूर्ति नहीं होगी, कौन सी राज्य सरकार कितना ऋण लेकर चला पायेगी ? अध्यक्ष महोदय, यह कारण है कि इसमें कमियां आई । राज्य सरकार जब अपनी ओर से पहल कर रही थी, इसके पहले 790 करोड़ के आसपास का लोन लिया, उसमें भी काम कराये, यह 762 करोड़ का पेंडिंग था । स्वीकृति के कगार पर थी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल में भाषण नहीं होता है । मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- आपका प्रश्न इतना ...।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- आपने ही कहा था कि विस्तार से बात करना चाहते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, भाषण नहीं चाहता था । आप उत्तर पाईंट में दीजिए । आपने आरोप लगाया कि केन्द्र से मेरा पैसा नहीं मिल रहा है ।

श्री टी.एस.सिंहदेव:- अध्यक्ष महोदय, मैंने आरोप नहीं लगाया । मैंने केवल तथ्य रखे हैं । मैंने कोई आरोप नहीं लगाया ।

श्री अजय चन्द्राकर :- भाषा कुछ भी हो । अध्यक्ष महोदय, एक मिनट । जब इन्होंने, लोन नहीं मिल रहा है, दिल्ली से इतना पैसा बाकी है तो फिर उससे संबंधित प्रश्न करने की मुझको अनुमति दीजिए । अध्यक्ष महोदय, फिर यह आरोप नहीं लगना चाहिये कि मैं विषय से हट रहा हूँ ? जितने भी 60 : 40 की योजनायें हैं, मुख्यमंत्री जी का जो बयान था, जिसमें मुख्यमंत्री सड़क है या रूसा है या समग्र शिक्षा है या किसी भी तरह की योजना है, क्या आप सभी 60-40 की योजनाओं को पैसा नहीं मिल रहा है, ऐसा करके वापस करेंगे ? प्रधानमंत्री सड़क योजना को भी वापस करेंगे या फिर अब यह बतायें ? इतना लंबा भाषण दे रहे हैं तो मैं भी लंबा भाषण दूंगा । एन.आर.एल.एम. को वापस करेंगे ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहीं यह नहीं कहा है कि...।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र यदि आपको पैसा नहीं दे रहा है तो 60 : 40 की जितनी केन्द्र की योजनायें हैं, आप सबको वापस करेंगे क्या कि सिर्फ गरीबों के आवास को वापस करेंगे ?

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्यों नहीं होना चाहिये कि केन्द्र सरकार को और राशि देना चाहिये ? अपितु जो 60-40 है उसको 50-50 और अन्ततः शून्य तक ले जाने की मंशा केन्द्र सरकार दिखा रही है । कई योजनायें 60 : 40 की है जो...।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ को छोड़कर देश में किसी भी राज्य ने आवास भर को हमको पैसा नहीं मिल रहा है, इस तरह के आरोप के कारण वापस नहीं किया है । मैं फिर प्रश्न में आता हूँ ।

श्री अमरजीत भगत :- जितना बोल रहे हो ना, उतना बोलते तो प्रधानमंत्री जी यहां का पैसा ही रिलीज कर देते । एक बार भी आप लोगों का मुंह नहीं खुलता है । दिल्ली जाते हो, प्रधानमंत्री जी से बात करते हो, छत्तीसगढ़ का पैसा क्यों नहीं मिल रहा है ? छत्तीसगढ़ का पैसा दिल्ली क्यों नहीं दे रहा है, आप क्यों दिल्ली से बात नहीं करते हो ? पहले योजनाओं में केन्द्रांश आता था ।

अध्यक्ष महोदय :- भगत जी ।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ठीक नहीं है । आपको हस्तक्षेप करना चाहिये । यह उचित नहीं है । (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कितना केन्द्र सरकार का पैसा है, लोक सभा का जवाब है । (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- कृपया प्रश्नकाल को छोड़कर । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, जिस दिन यह विधान सभा गठित हुई । पहले प्रश्न में इस विषय में माननीय वित्तीय अनुशासन और कर्ज की सीमा सारी चीजें बात कर रहे थे। विनियोग में बात करूंगा, चूंकि आपने लंबी बात की है मैं भी बात करूंगा। आई.बी.एफ.एम. एक्ट का यह राज्य उल्लंघन कर चुकी है, 6 परसेंट से ऊपर कर्जा ले चुकी है। जब ये कर्जा ले चुकी है तो फिर क्या अनुशासन और क्या आपका रोना और यह जो खड़े हो रहे थे न, मेरे भाई माननीय अमरजीत जी। 19-20, 21-22 की स्वीकृति, आदिवासी जिलों में कितना है उसको देख लो, उसके बाद बात करना। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- कल आपका गला खराब था, आज बिल्कुल एकदम साफ हो गया है।

श्री अजय चंद्राकर :- बीरगांव नहीं गया हूं, पूरी सेना उतार दी है मोहन मरकाम जी ने। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस दिन यह विधानसभा गठित हुई, पहले प्रश्न लगा उसमें और 139 की चर्चा में माननीय वित्तमंत्री जी, ग्रामीण विकास मंत्री जी ....।

श्री अमरजीत भगत :- चंद्राकर जी, मैं एक मिनट रोक रहा हूं। आप जो आदिवासी उप योजना या उस क्षेत्र में जो पैसा अलॉट होता है, उसके बारे में जो आप बोल रहे हैं न।

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं, उसमें नहीं बोल रहा हूं, मैं विषय के बाहर नहीं बोलता।

श्री अमरजीत भगत :- नहीं, सुनिये न आप जो बोले हैं न, सेंट्रल में जो लगातार आदिवासी उप योजना में जो राशि जारी कर रही है, उसमें कटौती कर रही है, आप देख लीजिये।

श्री अजय चंद्राकर :- आप चर्चा कर लेना। मेरा विषय मत भटकाये। मैं ऐसी चीजों को, आपके जितना मैं भी निर्वाचित हूं, मैं समझता हूं।

श्री अमरजीत भगत :- नहीं, आप ऐसा है कि बीच-बीच में गेप मार देते हो। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय ....।

श्री अमरजीत भगत :- मैं कन्टीन्यूशन में आपकी बात, सुन लो पहले बात को। केंद्रांश पहले कि राज्यांश, उसको पूछ रहे हैं उसको क्यों नहीं बताते आप।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, उसको ज्यादा विचलित मत कीजिये।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक भी उत्तर स्पेशिफिक नहीं आ रहे हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि सारी नियम प्रक्रिया को ताक में रख के, कल के प्रश्न में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया कि 51 हजार समथिंग करोड़ कर्ज ले चुके हैं। ग्रामीण विकास मंत्री जी ने अपने पहले उत्तर में बताया था, 139 में बताया था, 762 करोड़ की अभी-भी वह बोल रहे थे। नस्ती हमारी

लंबित है, 51 हजार करोड़ कर्ज मिल सकते हैं, उसके बड़े-बड़े पोस्टर लग सकते हैं। शहर भर में यह न्याय, वह न्याय, वह अन्याय, तो गरीबों के न्याय के लिये आपको लोन क्यों नहीं मिल रहा है और आपने उसके लिये क्या-क्या प्रयत्न किये ? और कौन-सी दर में किससे-किससे बात हुई और वह कब तक स्वीकृत होगा या नहीं होगा या आप दूसरे मद से देंगे। यह प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं, आप उसको बताओ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- यह उद्‌भुत नहीं होता।

श्री अमरजीत भगत :- यह लोन लेना, उधारी लेना, यह तो हमारा निजी मामला है, हम लोग ले सकते हैं। केंद्र पैसा क्यों नहीं दे रही है, आप उसको बताओ?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं, आप उसको बताओ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष जी, अभी प्रधानमंत्री आवास में छत्तीसगढ़ के लिये केंद्रांश की क्या स्थिति है ?

श्री अजय चंद्राकर :- आप यह बताओ अगर छत्तीसगढ़ की राशि यदि 3 साल से लोन नहीं ले पा रहे हैं, तो बजट से या अन्य स्त्रोतों से देंगे क्या और कब तक देंगे दोनों को ?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय चंद्राकर जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, आपके बहुत सारे सदस्य इसमें और कुछ जानकारी चाहते ..?

श्री अजय चंद्राकर :- यह मेरा आखिरी प्रश्न है, फिर बाकी का उत्तर ...।

अध्यक्ष महोदय :- हां, मैं यह चाहता हूं कि प्रश्न को इधर-उधर विचलित मत करें, सीधा-सीधा बात करें।

श्री अजय चंद्राकर :- सीधा-सीधा ?

अध्यक्ष महोदय :- जी।

श्री अजय चंद्राकर :- वह इधर-उधर नहीं करेंगे तो मैं भी इधर-उधर नहीं करूंगा। (हंसी) दोनों साल के राज्यांश...।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष जी, यह इधर-उधर क्या है, यह तो पहले स्पष्ट करें, यह क्या है इधर-उधर ?

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले दिन से विधानसभा गठित हुई तब से बोल रहे हैं कि हम लोन ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- सही बात है।

श्री अजय चंद्राकर :- गरीबों के जितने मकान स्वीकृत हो गये हैं, पूरा माना जाता है, जियो टैगिंग हुई है। यह सरकार बिना पैसा दिये गरीबों को उलझा दी है। कोई कर्ज लिये हैं किसी का मकान अधूरा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

है, वह लाखों की संख्या में है, तो मैं यह चाहता हूं कि बाकी चीजों के लिये आप वित्तीय व्यवस्था करते हैं। आपने 7 लाख 81 हजार मकान वापस ले लिया तो आपका परफॉरमेंस ही वापस लेने के लायक है। तो आप उन दोनों वर्कों को, जितने मकान आपने स्वीकृत किये हैं, उसके लिये राज्य किसी भी तरह से वित्तीय संसाधन की व्यवस्था कब तक करेगी ?

अध्यक्ष महोदय :- हां, यह प्रश्न है। यह अच्छा प्रश्न है।

श्री रविन्द्र चौबे :- केंद्र पैसा देगी तो हो जाएगा।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- जी अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार ने हम लोग अभी बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की। उन्होंने इस वर्ष के लिये हमारा लक्ष्य विथड्रॉ कर लिया है । अगले वर्ष के लिये उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया है, इस वर्ष के टार्गेट को उन्होंने विथड्रॉ कर लिया है। हम निश्चित रूप से उनसे यह कहेंगे कि हमारा यह प्रक्रियाधीन है, आप इसको ओपन कर लीजिये। अगर इस वित्तीय वर्ष में उस आवंटन को वह ओपन कर देते हैं, शेष केंद्रांश को देने के लिये अपनी सहमति दे देते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है, मैं समय नहीं बता सकता, मुझे पूरा विश्वास है कि जो 762 करोड़ रूपये की जो हमको सहमति चाहिये, वह अवश्य मिल जाएगी और इस वर्ष वह काम चालू हो जाएगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो साल का पूछ रहा हूँ। वर्ष 2019-20, वर्ष 2020-21 के जो राज्यांश हैं जो आपने स्वीकृत किये हैं, उसके लिए किसी स्त्रोत से पैसे का इंतजाम कब तक करेंगे? मेरा प्रश्न स्पेसिफिक है। मैंने तीसरे साल का 780 लाख रूपये का पूछा ही नहीं है।

श्री अमरजीत भगत :- केन्द्र ने जो छत्तीसगढ़ का पैसा रोका है, उसके लिए आप कुछ पहल करेंगे क्या ?

श्री रामकुमार यादव :- माननीय चन्द्राकर जी, पहली मियारी आते कि अउ कुछ आथे, तेला बताओ? -

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संसदीय कार्यमंत्री जी सारे मंत्रियों को खड़ा करवा रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- जो भारत सरकार ने जो छत्तीसगढ़ के हिस्से का पैसा रोका है, उसके लिए आप पहल होगी क्या ? आप लोग इसके लिए कुछ बोलेंगे ?

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने कितना-कितना पैसा रोका है, मैं ये हिसाब बता दूंगा, यह लोकसभा का जवाब है।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ का 20 हजार करोड़ रूपये दिलवायेंगे क्या?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एकाध ठोक पत्र, एकाध ठोक ज्ञापन, एकाध डेलीगेशन दिल्ली जाएगा क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, इसमें 25 मिनट हो चुके हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- भारत सरकार खुद भेदभाव करती है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, इनका स्पष्ट कहना है ...।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 25 मिनट की बात नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं-नहीं। आप मेरी बात सुन तो लीजिए। मैं कुछ बोल रहा हूँ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय कुछ बोल रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका जवाब आ नहीं रहा है और उसका जवाब आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- मैं पर्याप्त समय दे रहा हूँ। आप चिंतित मत होईये। यह आपके, मेरे और सब सदस्यों का सवाल है। सब लोग परेशान हैं। जो स्पष्ट प्रश्न पूछ रहे हैं इस साल से मान लीजिए केन्द्र सरकार ने वापस ले लिया। मैं भी माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो पिछले साल के बचे हुए हैं, आप उसके बारे में क्या कर रहे हैं, यह बता दीजिए? मैं तो आप ही का प्रश्न कर रहा हूँ।

श्री टी.एस.सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वर्ष 2019-20 का है। पिछले साल का इसके पहले वर्ष 2018-19 का केन्द्र सरकार से 25 करोड़, 85 लाख रूपये अपेक्षित है। हम उसके लिए भी मांग कर रहे हैं। हम पुन: मांग कर देंगे और इस वर्ष का जो टारगेट 1 लाख, 51 हजार के संदर्भ में माननीय अजय जी कह रहे थे, इसमें भी 300.4 करोड़ रूपये केन्द्रांश प्राप्त होना शेष है। जैसे ही यह हमारा 762.21 करोड़ रूपये का लोन लेने की हमारी अनुमति हो जाती है, हम उनसे पुन: आग्रह करेंगे कि अब हमको आपने जो 300.4 करोड़ रूपये जो रोका है, वह भी दे दीजिए और यह 700 का हमने दिया है, वह टारगेट भी पूरा करेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय :- अब यह लोग पूछ लेते हैं। जरूरत होगी तो मैं आपको बुला लूंगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कुल हमारे छत्तीसगढ़ के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का केन्द्र सरकार ने हमको कितना लक्ष्य दिया है और उस लक्ष्य में से कितना निर्माण हो गया है? कुल कितना लक्ष्य दिया है। मुझे उसमें आप वर्ष 2021-22 का भी बतायेंगे ? पूरे छत्तीसगढ़ का कुल कितना लक्ष्य था और उसमें से कितना निर्माण हो गया है? और बाकी निर्माण क्यों नहीं हो रहा है? उसका कारण क्या है?यह जरा आप बता दें और केन्द्र सरकार ने उक्त संदर्भ में आपको कोई पत्र लिखा था क्या?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कारण...।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- हम मिलजुल कर जवाब दे रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अरे भईया, संसदीय कार्य मंत्री जी आपसे जवाब नहीं पूछ रहे हैं। आप यहां आकर बैठिए। पीछे आकर, वहां से बोल रहे हैं। उनको आप अपनी जगह पर बैठाईये। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि आप संसदीय कार्यमंत्री जी को पहले अपनी जगह पर बैठाईये।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय अग्रवाल जी, आप नाराज़ मत होईये। एक संसदीय परम्परा है अगर जब सामने दोनों सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसककेसामने से...

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं टोक नहीं रहा हूँ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप वहां बैठकर टोक क्यों रहे हैं?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं टोक नहीं रहा था। माननीय को असुविधा मत हो करके बोल रहा था।

अध्यक्ष महोदय :- आप मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं तो बोल रहा हूँ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन हर बार माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। इन सारे कारणों का जिम्मेदार दिल्ली की सरकार और केन्द्र सरकार है। (मेजों की थपथपाहट) आप उसको सुनते क्यों नहीं है? केन्द्र सरकार पैसा क्यों नहीं देती? केन्द्र सरकार छत्तीसगढ़ से भेदभाव क्यों करती है?(व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीबों के आवास छिन रहे हो, गरीब आपको माफ नहीं करेंगे (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ को 20 हजार करोड़ रूपये देना है, केन्द्र सरकार हमारे साथ भेदभाव कर रही है। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हर गरीब के जीवन का एक सपना होता है मेरे सर के ऊपर एक छत हो जाए और अगर हम इस वर्ष का जोड़ लेंगे तो 11 लाख गरीबों का मकान छीनने वाली कोई सरकार है तो यह सरकार है। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- हमर 20 हजार करोड़ ला खा देव।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मोदी जी की सरकार है। केन्द्र सरकार 20 हजार करोड़ रूपये नहीं दे रही है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल छत्तीसगढ़ का ... (व्यवधान)

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :-एखर नाम प्रधानमंत्री आवास हे, अउ पैसा (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मोदी जी की सरकार है। केन्द्र सरकार 20 हजार करोड़ रूपये नहीं दे रही है।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंदिर बनाने के लिए पैसा है (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अच्छी बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- केन्द्र ने जो छत्तीसगढ़ का पैसा क्यों रोका है? (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यू.पी. में मंदिर बनाने के लिए पैसा है, गरीबों के लिए पैसा नहीं है। गरीबों के घर के लिए माननीय मोदी जी के पास पैसा नहीं है क्या?

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव हो रहा है। हमारा पैसा हमको नहीं दिया जा रहा है। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के साथ असमान व्यवहार हो रहा है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिए। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप माननीय नरेन्द्र मोदी जी को चिट्ठी लिखिए। (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के साथ केन्द्र सरकार सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है?

अध्यक्ष महोदय :- बैठिए-बैठिए। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- छत्तीसगढ़ के साथ असमान व्यवहार क्यों ? आप नरेन्द्र मोदी जी को चिट्ठी लिखिए। (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ के साथ मोदी सरकार सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- छत्तीसगढ़ के साथ लगातार सौतेला व्यवहार हो रहा है। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- केन्द्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ क्यों भेदभाव कर रही है। इसका उत्तर आना चाहिए। दिल्ली हमको पैसा क्यों नहीं देती है। 32 हजार करोड़ रूपये, 32 हजार करोड़ रूपए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चंद्राकर जी...। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- प्रधानमंत्री आवास का मामला है। (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- छत्तीसगढ़ के साथ क्यों भेदभाव हो रहा है। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- पहले बजट में पैसा प्रदान करे उसके बाद विपक्ष बात करे। (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- वे 20 हजार करोड़ रूपए बोल रहे हैं, आप 32 हजार करोड़ बोल रहे हैं। अभी उन्होंने 20 बोला, आप 32 बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- केन्द्र सरकार से 20 हजार करोड़ रूपये छत्तीसगढ़ को लेना है। केन्द्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है।

अप्रवर्तित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- राज्य का पैसा खा गये, राज्य का पैसा। छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार बंद करो।

श्री रामकुमार यादव :- छत्तीसगढ़ के पैसा मा तुमन विदेश किंजरत हव। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- मरकाम जी, प्लीज बैठिए, यादव जी बैठिए।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष जी, यह गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय :- इसीलिए तो मैं चाहता हूं कि आपको पूरा जवाब मिल जाए।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष जी, इस पैसे से न हमारा मकान बनना है, न डॉ. रमन सिंह का मकान बनना है, न आप लोगों का मकान बनना है, न आपका बनना है। यह गरीबों का मामला है, इस सरकार की गंभीरता दिखाई दे रही है। केन्द्र सरकार ने इस विषय में अनेक पत्र भेजे हैं। आपका पिछला मकान जो अधूरा है उसको आप बनाने के लिए पूरा करें। उसका identification करें। आप उसकी कमी है उसको पूरा करें, अनेक पत्र आए। लेकिन अनेक पत्र आने के बाद भी राज्य सरकार से समुचित रूप से जवाब नहीं मिला और आज स्थिति यह है कि 11 लाख मकान अभी का और आने वाले समय का 7 लाख 81 हजार मकान, मतलब कुल 18 लाख मकान है और यदि 18 लाख मकान गरीबों का नहीं मिल रहा है तो उसके लिए कोई दोषी है तो यह कांग्रेस की सरकार दोषी है।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- उसके लिए केन्द्र की सरकार दोषी है। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- केन्द्र की सरकार दोषी है। गरीबों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- केन्द्र से राशि छत्तीसगढ़ को नहीं मिल रहा है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह किसानों की बात करते हैं कि हमने 9 हजार करोड़ रूपये का कर्ज माफ किया। कितना माफ किया, 9 हजार करोड़ रूपये ? केन्द्र सरकार से जो 12 हजार करोड़ रूपये राशि आनी थी, इस सरकार के क्या बोलूं [xx][2] क्या बोलूं मैं, उसके कारण ...। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- केन्द्र सरकार के....। (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- केन्द्र सरकार के [XX] के कारण...।(व्यवधान)

श्री अरूण वोरा :- केन्द्र सरकार के [XX] के कारण हुई है। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- उसके लिए दोषी हैं तो यह सरकार दोषी है और आज जवाब देने की स्थिति में नहीं है। (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- केन्द्र सरकार बनायेगी ।(व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- इन सबके लिए केन्द्र सरकार ने वातावरण बनाया है।

---

[2] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री धरमलाल कौशिक :- जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी मकान का काम चला। उसकी राशि भी पटी है लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद में जानबूझकर गरीबों का मकान न बने, इसके लिए उनको वंचित करने का यदि षड़यंत्र किया है तो इस सरकार ने किया है। अब जवाब आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- मैं दे रहा हूं न, डॉ. साहब का प्रश्न सुन लीजिए फिर एक साथ जवाब देंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है। केन्द्र की सरकार ने अभी तक कितना लक्ष्य प्रधानमंत्री आवास के लिए दिया है और छत्तीसगढ़ में कुल कितने प्रधानमंत्री आवास बनने है और कितने बने हैं? मुझे 2021-22 का भी लक्ष्य दिया हुआ है, 2022-23 का लक्ष्य भी दिया हुआ है और वह लक्ष्य कितना है और अभी तक कितने मकान बने हैं ? इसका उत्तर माननीय मंत्री जी दे दें ?

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. रमन सिंह जी के साथ ही दे देंगे।

डॉ. रमन सिंह :- मेरा माननीय मंत्री जी से बहुत स्पेसीफिक प्रश्न है। उनके जवाब में ...।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, आप रमन सिंह जी का प्रश्न सुनिए।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं जो इनके जवाब में है, इन्होंने कहा कि वर्ष 2019-20 में 81 हजार आवास अपूर्ण है और इसके बाद उन्होंन जवाब दिया कि वर्ष 2021 में 1 लाख 57 हजार 800 आवास हैं। बहुत छोटा सा प्रश्न है कि यह दो लाख ढाई लाख मकान का पहला किस्त मिल चुका है, दूसरा किस्त मिल चुका है, अधूरा है, टूट रहा है, जर्जर हो गया है, यह दो ढाई लाख मकान जो पहला दूसरा किस्त देने के बाद अधूरा है। क्या आप सदन में यह बोलें कि यह 2 लाख 40 हजार मकान जो जर्जर होकर टूट जाएंगे, नेशनल लॉ से गरीबों का सबकुछ लूट रहा है तो क्या यह 2 लाख 40 हजार मकान के लिए तत्काल स्वीकृति राज्य सरकार के बजट से कम से कम राज्यांश देंगे क्या ? बहुत छोटा सा प्रश्न है।

पंचायत मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी भी बोल रहे थे, चेंबर में भी अभी जाना है, देखना है, बढ़िया चेंबर बन गया है, अपना चेंबर देखना है। मिठाई नहीं मिली है। (हंसी)

श्री सौरभ सिंह :- यह चेंबर कहां से आ गया। यह तो गैप चेंबर आ गया। गैप चेंबर तो उधर है। (हंसी)

डॉ. रमन सिंह :- चेंबर में जाने की जरूरत नहीं है। 2 लाख 40 हजार मकान का जवाब दें कि राज्य के हिस्से से वह मकान बनेगा कि वह जर्जर होकर खत्म हो जाएगा।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- रमन सिंह जी, मैं जवाब दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- जवाब दे रहे हैं।

डॉ. रमन सिंह :- गरीबों के लिये कोई पीड़ा या तकलीफ इस सरकार को है कि पूरा का पूरा गरीबों को कुचलने में लगी हुई है ? केवल नारे लगायेंगे, भाषण देने की सरकार है, गरीबों के लिये केवल वोट लेने की सरकार है । जब गरीबों के हित की बात आ रही है, कम से कम 2 लाख 40 हजार अधूरे मकानों के लिये यहां बैठे हुए सारा सदन इसके लिये तैयार है । आप 700 करोड़ लेने की बात कर रहे हैं इसके लिये आप हजार- दो हजार करोड़ लीजिये, पूरा सदन आपको एक-साथ सहमति देगा इसमें कहीं कोई कमी नहीं होने वाली है ।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- आप प्रश्न कर रहे हैं कि...।

डॉ. रमन सिंह :- मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं मंत्री जी से पूछ रहा हूं ।

श्री अमरजीत भगत :- आप प्रश्न कर रहे हैं कि डांट रहे हैं ? (हंसी)

श्री टी.एस. सिंहदेव :- दोनों चलेगा, बड़े भाई हैं । वे डांट भी सकते हैं, कान भी पकड़ सकते हैं और मुझे बोल भी सकते हैं । (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- सिंहदेव साहब, आज कुछ तेवर बदले हुए हैं उस हिसाब से जवाब दीजियेगा । (हंसी)

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही सामान्य प्रश्न पूछ रहा हूं । गरीबों के लिये प्रश्न पूछ रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं-नहीं, मैं समझ रहा हूं लेकिन आपका ऐसा तेवर कभी देखा नहीं है । (हंसी)

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी दो बातें आयीं । एक कि 18 लाख कुछ आवास बने ही नहीं हैं तो यह गलत जानकारियां हैं, एक अलग बात है कि हमारे काम पेण्डिंग हैं उसको तो हम स्वीकार करके ही चल रहे हैं । टोटल टारगेट ही 18 लाख 79 हजार 149 का है तो टोटल टारगेट ही जो छत्तीसगढ़ का है, वह उतने का है, इतने अधूरे आवास नहीं हैं । आपने भी अपने शासनकाल में आवास बनाये ।

श्री अजय चंद्राकर :- 95 प्रतिशत पहले था ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय रमन सिंह जी ने सवाल पूछा है तो 2 लाख 40 हजार नहीं बल्कि 2 लाख 74 हजार 131 मकान अभी इन्कम्पलीट की कैटेगरी में आते हैं । इन्कम्पलीट उस नाते कि वर्ष 2016-17 में 6260 मकान अपूर्ण दर्शित हैं, वर्ष 2017-18 में 5293 मकान, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि किसकी सरकार थी और किसकी सरकार नहीं थी, यह अपूर्ण हैं । वर्ष 2018-19 में 23 हजार 527 आवास अपूर्ण दर्शा रहे हैं । वर्ष 2019-20 जहां से यह प्राब्लम ज्यादा चालू हो रही है, 81 हजार 237 और वर्ष 2020-21 में 1 लाख 57 हजार जिसमें काम ही चालू नहीं हुआ है तो यह टूटने की स्थिति नहीं है, गिरने की स्थिति नहीं है । 1 लाख 57 हजार चालू ही नहीं हुए हैं, जो

कारण है, मैंने बताने का प्रयास किया तो यह कुल 2 लाख 74 हजार 131 मकान अपूर्ण स्थिति में दर्ज हैं और इनके कारण जो आवास पहले वर्ष 2016-17 में मंजूर हुए, किन्हीं को पहला किस्त जारी हुआ, उसके बाद उन्होंने दूसरा किस्त नहीं लिया, कुछ लोग मृत हो गये, कुछ लोग वहां पर पाये नहीं जा रहे हैं, इसमें कई प्रकार की स्थितियां हैं जिसके निराकरण के लिये हम लोग लगातार पहल कर रहे हैं कि पुराना भी बैकलॉग वर्ष 2016-17 से जो चला आ रहा है, जो अपूर्ण दिखा रहा है, सेंक्शन होने के बाद अपूर्ण, बना नहीं है, चाहे वह स्टेज 1 पर हो, 2 पर हो, 3 पर हो, 4 पर हो, क्यों अपूर्ण है ? इधर कहीं पर फण्ड की कमी की स्थिति आयी है, जिसको मैंने कहा भी, साफतौर पर कहा और जैसे ही वह फण्ड उपलब्ध होता है, हम उसको कर देंगे । आपने राशियां भी पूछी थी, केंद्र सरकार से नहीं मिलने की स्थिति में राज्य सरकार कर पायेगी कि नहीं ?

श्री अजय चंद्राकर :- हम पहले सत्र से 3 साल से बोल रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बहुत समय हो गया । (व्यवधान)

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी मौन हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था कि वर्ष 2021-22 तक कितना लक्ष्य दिया ? उस लक्ष्य में से कितना निर्माण हो गया और कितने बचे हैं ? यदि 18 लाख का लक्ष्य था तो कृपया यह बता दें कि अभी तक कितने मकान पूर्ण हो गये हैं और कितने बचे हैं ?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले भी इस पर चर्चा हुई थी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह गंभीर मामला है। गरीबों की छत छीनने वाली कोई सरकार है तो यह भूपेश बघेल की सरकार है, टी.एस. सिंहदेव की सरकार है । जो गरीबों के सिर से छत छीन रही है, इससे बड़ी गंभीर बात और कोई नहीं हो सकती । मुख्यमंत्री जी नयी-नयी घोषणायें करते हैं, उसको बंद कर दें, गरीबों को छत दे दें, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इससे आपको कितने लोगों की दुआ मिलेगी । यह सरकार गरीबों की छत छीन रही है, माननीय मंत्री जी आप इसका जवाब दे दें ।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- प्रधानमंत्री जी को बोलिए । वे पैसा भेज देंगे तो उनको दुआ मिलेगी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने 2 लाख 39 हजार मकान अपूर्ण होने को स्वीकार किया है और अभी माननीय डॉ. साहब के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने अपूर्ण होने के वर्ष 2016 से लेकर अब तक के अलग-अलग कारण बताये । माननीय मंत्री जी आप मुझे केवल यह बता दीजिये कि राज्यांश के अभाव में कितने मकान अपूर्ण हैं ? आप केवल इस बात की जानकारी दे दीजिए ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- आप उसको बांट लीजिये, केंद्रांश 300 करोड़ 40 लाख।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं आपसे केवल यह पूछ रहा हूं कि राज्यांश की राशि न मिलने के कारण कितने मकान अपूर्ण हैं ? आप केवल यही जानकारी दे दें ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बता देता हूं कि इस वर्ष कुल राशि अर्थात् वर्ष 2019-20 के लिये जो लंबित है, वर्ष 2020-21 की तो बात ही नहीं हो रही है उसके लिये पहल ही नहीं हुई है । न केन्द्र का एक नया पैसा आया है और न राज्य का जैसा जुटा है।

श्री रविन्द्र चौबे :- एक रूपया नहीं दिया है।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- वर्ष 2019-20 में 1063.21 करोड़ रूपये राशि है। आप 1 लाख 20 हजार से भाग दे दीजिए। घर निकल जायेंगे। इसमें 762.81 करोड़...।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं-नहीं, मैंने आपसे प्रश्न किया है। माननीय मंत्री जी, मैंने बहुत स्पष्ट प्रश्न पूछा है। आपने जो जानकारी अपूर्ण आवास की दी है। आपने उसे कैटेगरी किया कि वर्ष 2016, 2019 में इतने बाकी है, इसमें इतने बाकी है। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि राज्यांश की राशि न दे पाने के कारण कितने आवास अधूरे हैं?

आप केवल मुझे यह बता दीजिए। केन्द्रांश में कितना पैसा दिया, यह आपने बता दिया। मैं सिर्फ राज्यांश की जानकारी पूछ रहा हूं।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- राज्यांश 762.81 करोड़, जिसके लिए मैंने बताया कि लोन की प्रक्रिया हमारी उच्च स्तरीय कमेटी के पास पेंडिंग है। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- यह बहुत ही गंभीर विषय है। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- गरीबों से उनका हक छिना जा रहा है। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- और सब चीजों के लिए कर्जा ले रहे हैं तो इसके लिए कर्जा क्यों नहीं ले सकते ? ये गरीबों के साथ छल है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- केशव जी..। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- 3 साल से कर्जा ले रहे हैं। 3 साल से गरीबों को मकान नहीं मिल रहा है। दुर्भाग्यजनक स्थिति हो गई है। जवाब नहीं आ रहा है। आप केन्द्रांश की बात करते हैं। जब से कांग्रेस की सरकार आयी है और उसके बाद से राज्यांश की राशि नहीं आ रही है और इसका कारण आप मकान नहीं दे पा रहे हैं। आपको इस बात को स्वीकार करना चाहिए। आप गरीबों की बात करते हैं। आपको इस नाटक को छोड़ना चाहिए और आपको इस बात को स्वीकार करना चाहिए। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- आपको लज्जा आनी चाहिए। (व्यवधान) आप राज्यांश कब तक तय कर देंगे और मकान पूर्ण कराने की व्यवस्था कब तक कर देंगे, यह बता दीजिए। जो राज्यांश के अभाव में मकान के काम अधूरे हैं, उसे कब तक पूर्ण कराने की व्यवस्था करा देंगे, आप यह बता दीजिए? (व्यवधान)

श्री टी.एस. सिंहदेव :- आप केन्द्रांश दिलवा दीजिए, वैसे ही चालू करवा देंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, आप जवाब दें। आपके ऊपर गरीबों का घर छीनने का मामला है। उसके ऊपर में आप जवाब दिलवा दें। उनका एक भी जवाब नहीं आ रहा है।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, समय भी नहीं बता पा रहे हैं। आप घूमा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- केशव चन्द्रा वही पूछ रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप निर्देश कर दें। ये समय भी नहीं बता पा रहे हैं। ये समय तो बता दें।

अध्यक्ष महोदय :- केशव चन्द्रा जी पूछ रहे हैं, उन्हें पूछने दीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी, मैंने पाइण्टेड प्रश्न किया है कि आप कब तक राज्यांश डालेंगे?

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि केन्द्र का कितना पैसा आया? राज्यांश का कितना है?

अध्यक्ष महोदय :- आप हिन्दी में मत बोलिए।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- मैं आंकड़ा नहीं पूछ रहा हूं। मैं केवल इतना पूछ रहा हूं..।

श्री अजय चन्द्राकर :- प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि केन्द्र ने 840 करोड़ रूपया दिया है। उसे मैंने दिया है।

अध्यक्ष महोदय :- केशव चन्द्रा जी, आप छत्तीसगढ़ी में पूछिए।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से अतके जानना चाहथव कि जे पहिली किस्त जारी कर डारेहव, चाहे ओहा कोई साल के राहै, आप अभी बता हावौ, अधूरा हे। कई झन निपट गिन, तेखर कारण अधूरा हे। कई झन शुरू नहीं करिन, तेखर कारण अधूरा हे।

श्री अजय चन्द्राकर :- निपट गे, तेखर कारण अधूरा हे। (हंसी)

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- मंत्री जी हा बतइन हे, मृत्यु होगे तेखर कारण निपट गिस, अभी जेखर अधूरा हे, आप पहिली किस्त दे देहव, दूसरा किस्त आप दे देहव। कई झन कर्जा लेकर के मकान ला पूरा कर डाले हे और आपके तीसरा किस्त के या चौथा किस्त के इंतजार करथे। केन्द्र का दिस, नहीं दिस। पहिली किस्त आप दे देहव। दूसरा किस्त आप दे देहव। कई झन मकान ला कर्जा लेकर के पूरा कर डारेहे और आपके तीसरा किस्त या चौथा किस्त के इंतजार करथे। केन्द्र का दिस, नहीं दिस, ओ प्रश्न ला झन करिहौ। आप का देहौ, का नहीं देहौ, ते प्रश्न ला न करिहौ। ओ गरीब मन ला आप पैसा कब तक उपलब्ध कराहौ, ये बात ला बतावव? केन्द्र से पैसा लाना आपके जवाबदारी हे। ओ गरीब मन ला आप कब तक पैसा उपलब्ध कराहौ। जे मन पैसा पाये कि लायक, दूसरा किस्त वाला मन, तीसरा किस्त वाला मन, तीसरा और चौथा के लायक होगे हावय। मैं इही ला जानना चाहथव।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- चन्द्रा भाई के जो प्रश्न आइसे, ओमे ओहा पूछथे कि पैसा कब तक हमन दे पाबौ। घर के पैसा तभी मिल पाही, जब केन्द्रांश अउ राज्यांश दोनों जूटही अउ राज्यांश...। (व्यवधान)

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- अध्यक्ष महोदय, ओ गरीब आदमी ला ये सब से मतलब नहीं हे। केन्द्र से पैसा लाये नहीं। ओ गरीब आदमी मन मरथे। गरीब मन हा कर्जा लेकर घर परिवार बनाए हे। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष जी, मोरो ला सुनव..। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- गरीबों के लिए आप कर्जा नहीं ले सकते क्या ? गरीबों के लिए कर्जा लो। माननीय अध्यक्ष जी, दुकालू, सुकालू, वैशाखू, पहाड़ू, डहाड़ू के मामला हे। (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- पहिली मियारी आथे कि पीला आथे आप मन मोला एला बताओ। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- ये समय भी नहीं बता पा रहे हैं कि ये कब तक देंगे। (व्यवधान)

श्री टी.एस. सिंहदेव :- अध्यक्ष महोदय, ये बोलने का मौका देंगे तब तो बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- सदन की कमेटी बना दीजिए। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- सदन की कमेटी बनवाकर जांच करा दीजिए । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- तुमन गैस के कीमत ला कम करवाओ। गरीब मन हा किकयावथे। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए । केन्द्र सरकार की क्या ग़लती है और राज्य सरकार की क्या ग़लती है, इसकी जांच के लिए क्या आप सदन की समिति बनाएंगे ? आख़िर ग़रीबों की छत छीनने वाले लोग कौन हैं, यह सबके सामने आना चाहिए, आप हमारे संरक्षक हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- चूंकि मुख्यमंत्री जी ने सदन के बाहर अलग बयान दिया है इसलिए सदन की समिति से इसकी जांच करानी चाहिए ।

श्री नारायण चंदेल :- जांच कराना चाहिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष जी, आप हमारे संरक्षक हैं । हम आपसे आग्रह करेंगे कि छत्तीसगढ़ का 12 हज़ार करोड़ का नुकसान होने वाला है । लगभग 11 लाख मकान ग़रीबों से छीने जा रहे हैं । मैं समझता हूं सदन में इससे बड़ा मामला पहले कभी नहीं आया होगा । इससे 11 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं, 11 लाख लोगों से घर छीना जा रहा है । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए । ग़रीबों के हितों की रक्षा कीजिए । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिये ज़रा । (व्यवधान)

(पक्ष-प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये)

(भारतीय जनता पार्टी दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाते हुए सदन के गर्भगृह में प्रवेश किया गया)

समय :

11:47 बजे

<u>गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलम्बन</u>

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उप नियम (1) के तहत् निम्न सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

1. श्री धरमलाल कौशिक
2. डॉ. रमन सिंह
3. श्री बृजमोहन अग्रवाल
4. श्री पुन्नूलाल मोहले
5. श्री अजय चन्द्राकर
6. श्री नारायण चंदेल
7. श्री शिवरतन शर्मा
8. श्री सौरभ सिंह
9. श्री डमरूधर पुजारी
10. श्री रजनीश कुमार सिंह
11. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
12. श्री प्रमोद कुमार शर्मा

कृपया, निलंबित सदस्य सदन से बाहर जायें । मैं निलम्बन की अवधि पश्चात् निर्धारित करूंगा ।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा सरकार विरोधी नारे लगाये गये)

अध्यक्ष महोदय :- सदन की कार्यवाही 12.00 बजे तक के लिए स्थगित ।

(11.48 से 12.01 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :
12:01 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

(सत्तापक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये)

अध्यक्षीय घोषणा

अध्यक्ष महोदय :- संसद की पुस्तकालय समिति के माननीय सभापति ने संसद के पुस्तकालय द्वारा प्रदायित सुविधाओं का उल्लेख करते हुए यह आग्रह किया है कि समस्त विधान मण्डलों के माननीय सदस्यगण इसका आधिकारिक उपयोग कर सकते हैं। तत्संबंध में विधानसभा के सभी सदस्य अपने दिल्ली प्रवास के दौरान आवश्यकता अनुसार संसद के पुस्तकालय का उपयोग कर सकते हैं।

समय :
12:03 बजे **पत्रों का पटल पर रखा जाना**

(1) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता परिवेदना निवारण) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2020

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 88/सी.एस.ई.आर.सी./2020, दिनांक 19 अक्टूबर, 2020 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता परिवेदना निवारण) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2020 पटल पर रखता हूँ।

(2) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2019-2020

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 104 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2019-2020 पटल पर रखता हूँ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

(3) अधिसूचना क्रमांक-एफ-6-42/2021/12, दिनांक 8 जून, 2021

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (क्रमांक 67 सन् 1957) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक-एफ-6-42/2021/12, दिनांक 8 जून, 2021 पटल पर रखता हूँ।

(4) खनिज विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएँ

(i) अधिसूचना क्रमांक एफ 7-19/2015/XII, दिनांक 30 जून, 2021,
(ii) अधिसूचना क्रमांक एफ 7-19/2015/XII, दिनांक 2 सितम्बर, 2021 तथा
(iii) अधिसूचना क्रमांक एफ 7-19/2015/XII, दिनांक 22 सितम्बर, 2021

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (क्रमांक 67 सन् 1957) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार-

(i) अधिसूचना क्रमांक एफ 7-19/2015/XII, दिनांक 30 जून, 2021,

(ii) अधिसूचना क्रमांक एफ 7-19/2015/XII, दिनांक 2 सितम्बर, 2021 तथा

(iii) अधिसूचना क्रमांक एफ 7-19/2015/XII, दिनांक 22 सितम्बर, 2021

पटल पर रखता हूँ।

(5) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, रायपुर के अंकेक्षण टीप एवं वित्तीय पत्रक वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21

सहकारिता मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, रायपुर के अंकेक्षण टीप एवं वित्तीय पत्रक वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 पटल पर रखता हूँ।

समय :
12:05 बजे

अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय :- अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन प्रमुख सचिव, विधानसभा, सदन के पटल पर रखेंगे।

प्रमुख सचिव, विधान सभा (श्री चन्द्र शेखर गंगराड़े) :- मैं, अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-ख की अपेक्षानुसार फरवरी-मार्च, 2021 सत्र के शेष अपूर्ण उत्तरों एवं जुलाई, 2021 सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन (खण्ड-8) सदन के पटल पर रखता हूं।

<u>नियम 267 "क" के अधीन शून्यकाल सूचनाएं तथा उनके उत्तरों का संकलन</u>

अध्यक्ष महोदय :- नियम 276 "क" के अधीन जुलाई, 2021 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन प्रमुख सचिव, विधान सभा सदन के पटल पर रखेंगे।

प्रमुख सचिव, विधान सभा (श्री चन्द्र शेखर गंगराड़े) :- मैं, नियम 267 "क" के अधीन जुलाई, 2021 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखता हूं।

समय :

12:06 बजे **<u>माननीय राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त विधेयक की सूचना (दिसम्बर, 2021 सत्र)</u>**

अध्यक्ष महोदय :- पंचम विधान सभा के दिसम्बर, 2020 सत्र में पारित कुल 7 विधेयकों में से शेष बचे 1 विधेयक पर तथा जुलाई, 2021 सत्र में पारित सभी 4 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है। अनुमति प्राप्त विधेयक का विवरण प्रमुख सचिव, विधान सभा सदन के पटल पर रखेंगे।

प्रमुख सचिव, विधान सभा (श्री चन्द्र शेखर गंगराड़े) :- पंचम विधान सभा के दिसम्बर, 2020 सत्र में पारित कुल 7 विधेयकों में से शेष बचे 1 विधेयक पर तथा जुलाई, 2021 सत्र में पारित सभी 4 विधेयकों पर माननीय राज्यपाल की अनुमति प्रापत हो गई है, जिसका विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- अनुमति प्राप्त विधेयक के नाम को दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

<u>सभापति तालिका की घोषणा</u>

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की नियमावली के नियम 9 के उप नियम (1) के अधीन मैं निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिये नाम-निर्दिष्ट करता हूं :-

1. श्री सत्यनारायण शर्मा
2. श्री धनेन्द्र साहू
3. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह

4. श्री शिवरतन शर्मा

5. श्री लखेश्वर बघेल

समय :

12:07 बजे

<u>कार्यमंत्रणा समिति का पन्द्रहवां प्रतिवेदन</u>

अध्यक्ष महोदय :- कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2021 में लिये गये निर्णय अनुसार वित्तीय एवं विधायी कार्यों पर चर्चा के लिए उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई :-

1. <u>वित्तीय कार्य</u> -	<u>निर्धारित समय</u>
वित्तीय वर्ष 2021-22 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा, मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण	3 घंटे
2. <u>विधि विषयक कार्य</u>	
(1) सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2021.	30 मिनट
(2) छत्तीसगढ़ माल और सेवाकर (संशोधन) विधेयक, 2021	15 मिनट
(3) इंदिरा कला संगती विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021	15 मिनट

अध्यक्ष महोदय :- अब इसके संबंध में श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

श्री रविन्द्र चौबे, (संसदीय कार्य मंत्री) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिश को स्वीकृति देता है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिश को स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

समय :

12:07 बजे

<u>ध्यानआकर्षण सूचना</u>

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यवाही में शामिल ध्यानाकर्षण की सूचना कल ली जाएगी।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

12:07 बजे

अनुपस्थिति की अनुज्ञा

(1) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 26, लोरमी के सदस्य श्री धर्मजीत सिंह

अध्यक्ष महोदय :- निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 26, लोरमी के सदस्य श्री धर्मजीत सिंह द्वारा दिसम्बर, 2021 सत्र में सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहने की सूचना दी गई है।

उनका आवेदन इस प्रकार है :-

मेरा स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं अपने उपचार के लिए चिकित्सक की सलाह अनुसार मुंबई आया था। इसलिए मैं दिसम्बर-2021 सत्र में सभा की बैठकों में उपस्थित नहीं हो सकूंगा।

उनके आवेदन के परिप्रेक्ष्य मे क्या सदन की इच्छा है कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-26, लोरमी के सदस्य श्री धर्मजीत सिंह को दिसम्बर-2021 सत्र में सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दी जाये।

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

अनुज्ञा प्रदान की गई।

(2) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक - 65, भिलाई नगर, के सदस्य श्री देवेन्द्र यादव

अध्यक्ष महोदय :- निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक - 65, भिलाई नगर, के सदस्य श्री देवेन्द्र यादव द्वारा दिसम्बर, 2021 सत्र में दिनांक 13 दिसम्बर, 2021 से 17 दिसम्बर, 2021 तक अनुपस्थित रहने की सूचना दी गई है।

उनका आवेदन इस इस प्रकार है :-

मुझे अतिआवश्यक कार्य होने के कारण, मैं पंचम विधानसभा के बारहवें सत्र में दिनांक 13 दिसम्बर, 2021 से 17 दिसम्बर, 2021 तक सदन की बैठकों में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा।

उनके आवेदन के परिप्रेक्ष्य में क्या सदन की इच्छा है कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-65, भिलाई नगर, के सदस्य, श्री देवेन्द्र यादव को वर्तमान सत्र में दिनांक 13 दिसम्बर, 2021 से 17 दिसम्बर, 2021 तक सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दी जाये ?

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

अनुज्ञा प्रदान की गई।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

(3) निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक - 03, बैकुंठपुर, की सदस्य श्रीमती अंबिका सिंहदेव

अध्यक्ष महोदय :- निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक - 03, बैकुंठपुर, की सदस्य श्रीमती अंबिका सिंहदेव द्वारा दिसम्बर, 2021 सत्र में दिनांक 13 दिसम्बर, 2021 से 17 दिसम्बर, 2021 तक अनुपस्थित रहने की सूचना दी गई है।

उनका आवेदन इस प्रकार है :-

मुझे अतिआवश्यक कार्य होने के कारण मैं दिसम्बर - 2021 सत्र में दिनांक 13 दिसम्बर, 2021 से 17 दिसम्बर, 2021 तक सत्र में उपस्थित नहीं हो पाउंगी।

उनके आवेदन के परिप्रेक्ष्य में क्या सदन की इच्छा है कि निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-03, बैकुंठपुर, की सदस्य, श्रीमती अंबिका सिहदेव को वर्तमान सत्र में दिनांक 13 दिसम्बर, 2021 से 17 दिसम्बर, 2021 तक सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दी जाये ?

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

अनुज्ञा प्रदान की गई।

समय :
12:08 बजे

प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

लोक लेखा समिति का छप्पनवां, सत्तावनवां, अट्ठावनवां, उनसठवां एवं साठवां प्रतिवदेन

श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य :- अध्यक्ष महोदय, मैं लोक लेखा समिति का छप्पनवां, सत्तावनवां, अट्ठावनवां, उनसठवां एवं साठवां प्रतिवदेन प्रस्तुत करता हूं।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री भूपेश बघेल, (मुख्यमंत्री) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, राज्यपाल महोदया के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2021-2022 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- मैं, अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिये बुधवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 की तिथि निर्धारित करता हूं।

समय :
12:09 बजे

निलंबन समाप्ति की घोषणा

अध्यक्ष महोदय :- मैं नियम 250 (1) के अधीन निलंबित माननीय सदस्यों के निलंबन समाप्ति की घोषणा करता हूं।

समय :

12:09 बजे

<u>सदन को सूचना</u>

अध्यक्ष महोदय :- आज भोजन की व्यवस्था माननीय श्री जयसिंह अग्रवाल, राजस्व मंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथमतल पर की गई है कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 को 11:00 बजे दिन तक के लिये स्थगित।

(12 बजकर 10 मिनट पर विधान सभा बुधवार, दिनांक 15 दिसम्बर 2021 (अग्रहायण-24, शक संवत् 1943) के पूर्वान्ह 11:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित हुई.)

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छ.ग.)
दिनांक : 14 दिसम्बर, 2021

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं